



EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 470]

No. 470]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 14, 2000/आषाढ़ 23, 1922 NEW DELHI, FRIDAY, JULY 14, 2000/ASADHA 23, 1922

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2000

का. आ. 669(अ).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के अनुसरण में राष्ट्रपति, एतद्द्वारा निदेश देते हैं कि सूभी संघशासित प्रदेशों के प्रशासक (चाहे उसे प्रशासक या उप-राज्यपाल या मुख्य आयुक्त कहा जाए) राष्ट्रपति के नियंत्रण के अध्यधीन और अगले आदेश होने तक अपने संबंधित संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत भवन एवं अन्य कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का 28) के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का निवर्हन करेंगें।

[फा. सं. यू-11030/3/2000-यूटीएल] पी० के० जलाली, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2000

S.O. 669(E).—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby direct that the Administrators of all the Union Territories (whether known as the Administrator, the Lieutenant Governor or the Chief Commissioner) shall, subject to the control of the President and until further orders, also exercise the powers and discharge the functions of the State Government under the provisions of the Building and Other Contruction Workers' Welfare Cess Act, 1996 (28 of 1996) within their respective Union Territories.

[File No. U-11030/3/2000-UTL]
P.K. JALALI, Jt. Secy.